न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नितिन बनाम रामचन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –124/2025 (ब्यावर)

नोट प्रेस किये जाने से खारिज
16/4/25

	श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत	
03.03.2025	नितिन बनाम रामचन्द्र वगैरह (2025/124) यह अपील श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2025 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 16/4/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16/4/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाकर जरिये नोटप्रेस खारिज करवाना चाहते है अत: अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने से ~~जरिये~~ नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो।	Not press 16/4/25

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

ब्यावर/अपील टी०ए० संख्या.....124./2025

नितिन करणावट पुत्र श्री भंवरलाल जी करणावट, जाति जैन, निवासी कडीवालान पोल, सुनारन गली, महावीर बाजार, ब्यावर।

— अपीलांट

बनाम्

1. रामचन्द्र उर्फ कालू साल पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जी जाति तेली निवासी बालाजी की खिडकी के पास बिचडली मौहल्ला, ब्यावर।
2. रतन साहू पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जी जाति तेली निवासी मेवाडी गेट लुहारान बस्ती के पास, ब्यावर।
3. शिवप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जी जाति तेली
4. श्रीमति डिम्पल पत्नि स्व0 श्री सीताराम जी पुत्र स्व0 भागीरथ
5. हर्षित उम्र करीबन 10 साल नाबालिग पुत्र स्व0 श्री सीताराम जी
6. खुशी उम्र करीबन 6 साल नाबालिग पुत्री स्व0 श्री सीताराम जी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 जरिये वली नेक्सट फ्रेण्ड कुदरती वली माता श्रीमति डिम्पल पत्नि स्व0 श्री सीताराम जी

   सभी जाति तेली निवासीयान भाटी कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर।
7. श्रीमति लीलादेवी पत्नि रामा जी पुत्री स्व0 भागीरथ जी जाति तेली निवासी बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।
8. श्रीमति मंजूदेवी उर्फ टीना पत्नि सुरेशकुमार पुत्री स्व0 भागीरथ जी जाति तेली निवासी ग्राम पंचायत गेट के पास बस स्टेण्ड, खरवा तहसील मसूदा।
9. राजस्थान सरकार।

— रेस्पोडेन्ट्स

10. पुखराज पुत्र श्री गणेश जी जाति तेली निवासी ब्रहमानन्द मार्ग जाजू गार्डन के पास, ब्यावर।

Scanned with CamScanner

11. नाथुराम वयस्क पुत्र श्री गणेश जी जाति तेली निवासी श्री नाथ दुग्ध भण्डार चांग चितार रोड, ब्यावर।
12. रतन सिंह चौहान पुत्र श्री भंवरलाल जी चौहान जाति मेवाडा कलाल निवासी 28 रोहट हाउस, औकार नगर, अजमेर।
13. जितेन्द्र करणावट पुत्र श्री भंवरलाल जी करणावट जाति जैन निवासी कडीवालान पोल, सुनारन गली, महावीर बाजार, ब्यावर।
14. मनीष करणावट पुत्र श्री भंवरलाल जी करणावट जाति जैन निवासी कडीवालान पोल, सुनारन गली, महावीर बाजार, ब्यावर।

—— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी, ब्यावर दिनांक 8.1.2025 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/2025

———

मान्यवर,

अपीलांट अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करता है:—

यह कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी, ब्यावर के न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट एवं अन्य तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48, 88, 188 सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम अपने परिवार का सजरा खानदान दर्शाते हुए मौजा नया नगर तहसील व जिला ब्यावर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 2475/1633, 2472/1613 2473/1613, 2476/1633, 2474/1613, 2477/1633 में अंकित आराजी बाबत् इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वाद में वर्णित आराजी गणेश जी के पिता नैनू की खुदकाश्त की भूमि थी जो उनके बाद गणेश जी को विरासत में प्राप्त हुई। गणेश जी के स्वर्गवास होने पर विरासतन उनके पुत्र पुखराज, नाथूराम व स्व0 भागीरथ खातेदार काबिज हुए। उपरोक्त विवादित भूमि पैतृक अविभाजित सम्पत्तियां होने के कारण वादीगण भी संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं तथा वंशावली अनुसार

Scanned with CamScanner